

एक्सिसि बैंकें स्मार्ट पे कार्ट को नियंत्रित करि वाले नियम और शर्तें

(महत्वपूर्ण) - कृपया सनिश्चित करें कक्ष आपि एशससस बैकै स्मार्ट पे कार्ड का उपयोग करि से पहले इ स्मार्ट पे कार्ड नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ ललया है। स्मार्ट पे कार्ड का उपयोग करके आप यहां सीबड़धू नियमों और शर्तों को बिना शतण स्वीकार कर रहे हैं और उसे बांधे रहेंगे और आप भारतीय ररज़वण बैकै (आरबीआई) के सांगत ववनियमों, भारतीय ररज़वण बैकै के ववनिमय नियांत्र ववनियमि, अधधनियम के अांतगतण बिए गए सभी नियमों और ववनियमों तथा समय-समय पर यथा सांशोधधत/सांशोधधत/लागू तथा समय-समय पर लागू ककसी भी अय सांगत अधधनियमि का अिपालि सनिश्चित करि की शॉप मेदारी स्वीकार करते हैं। आप एशससस बैकै के साथ अपि स्मार्ट पे कार्ड के सांचालि के नियमों और शर्तों से भी बांधे रहेंगे।

परभाषाएँ

ारक एश्ससस बैकैं के साथ आयोशित अपि स्मार्ण पे कार्ण में सांग्रहीत धि का उपयोग करि के ललए अपि स्मार्ण पे कार्ण का उपयोग कर सकता है।

5. "वपि" का अथण है व्यश्सतगत पहिाि सांख्या (एरौएम तक पहुंचििो के ललए आवचयक) एश्ससस बैकैं द्वारा कार्धण ारक, समय-समय पर उसके द्वारा ििंगा गया।
6. "लेििदेिि", का अथण है कार्धण ारक द्वारा सीधे अपि कार्ण का उपयोग करके या अप्रत्यक्ष रूप से, एश्ससस बैकैं को स्मार्ण पे कार्ण पर कारणवाई करि के ललए। (लेििदेिि के उदाहरर् हो सकते हैं)
खदराँ खरीद, ििकद निकासी।
7. "व्यापारी" या "व्यापारी प्रनतष्ठािि" का अथण ऐसे प्रनतष्ठािि होंगे, ििहाँ वे शस्त हैं ििंो कार्ण स्वीकार/सम्मािि करते हैं और इमें अन्य के साथ-साथ एश्ससस बैकैं या वीज़ा//मास्त्रकार्ण/रूपे इंर्शिल द्वारा ववज्ञावपत दकाििंगु , रेस्तरां, एयरलाइ सांगठि आदद शालमल होंगे।
8. "ईरौसी" या "इलेसरौनिक रेरा कै पूरि" इलेसरौनिक पॉइंग-ऑफ-सेल स्वाइप लीमिण लों को सांदलभतण करता है, ििंहे वह एश्ससस बैकैं या साझा ििंर्वकण पर ककसी अन्य बैकैं का हो, ििंो व्यापारी प्रनतष्ठाििंगु से खरीद लेििदेिि के ललए कार्ण खाते से रेबबर् करि की अिमनतु देता है।
9. "वीज़ा", का अथण है वीज़ा के स्वालमत्व वाला और सामान्य रूप से ििंगा हुआ रेमाकिण।
10. "वीज़ा एरौएम ििंर्वकण" का अथण है एरौएम ििंो स्मार्ण पे कार्ण का सम्मािि करते हैं और ििंो वीज़ा प्रतीकों को प्रदलशतण करते हैं।
11. 'रूपे' का अथण है भारतीय राष्ट्रीय भगताििंगु निगम (एपीसीआई) के स्वालमत्व वाला रेमाकिण
12. 'मास्त्रकार्ण', का अथण है मास्त्रकार्ण के स्वालमत्व वाला रेमाकिण

स्मार्ट पे कार्ण ("कार्ण") एशससस बैंक लललमरेंर, ("एशससस बैंक लललमरेंर") द्वारा विंयारी ककया विंयाता है, शैसमें बत्रशलू, समथेचवर मांददर के सामि, लॉ गार्डिन, एललस बिं, (क) में उशललखखत पत्रों को सभा पर्ल पर रखिए में हुए ववलांब के काररों को दशाणि वाला वववरर।

कार्ट की वैधता और कार्डिं ारक दानयत्व

1. कार्ण विंयारी करि और उपयोग समय-समय पर लाग नियमों और ववनियमों के अधीि होगा विंसा कक भारतीय ररज़वण बैंक और एशससस बैंक द्वारा विंयारी ककया गया है।
2. कार्ण के वल भारत में लेडिंग ववकलपों के ललए मान्य होगा, विंसा कक बैंक द्वारा समय-समय पर एशससस बैंक के एरीएम और व्यापाररक प्रनतष्टांिों में वीज़ा/मास्टरकार्ण/रुपे इलेसरॉनिक पॉइंर-ऑफ-सेल स्वाइप लमिण लों पर अिमनतु दी गई है।

कार्ण हर समय एशससस बैंक की सांपवत्त है और रहेगा और एशससस बैंक के अिरोधु पर बबिं शतण और तरांतु एशससस बैंक को वापस कर ददया विंएगा।

कार्डिं ारक से अिरोधु है कक वह यह सनिश्चित कर ले कक कार्ण सौपि से पहले बैंक के अधधकारी की पहिंि स्थावपत कर ली गई है।

स्मार्ट पे कार्ण ककसी भी पररश्स्थनत में कार्डिं ारक द्वारा हस्तांतररीय या असाइि करि योग्य विंहीं है।

5. आपको रसीद लमलि पर तरांतु कार्ण पर हस्ताक्षर करि होगा। आपको ककसी अन्य व्यशसत को इसका उपयोग करि की अिमनतु विंहीं देविं विंदहए और कार्ण को हर समय अपि व्यशसतगत नियांत्रे में रखकर कार्ण के दरुपयोगु से सरक्षक्षतु रखिए विंदहए।
6. कार्ण के साथ प्रयोग के ललए कार्डिं ारक को विंयारी की गई व्यशसतगत पहिंि सांख्या (वपि) या वपि के रूप में कार्डिं ारक द्वारा विंहीं गई कोई भी सांख्या, के वल कार्डिं ारक को ही ज्ञात होगी और कार्डिं ारक के व्यशसतगत उपयोग के ललए है और गरै-हस्तांतरीय और पर्तणूः गोपीय है। वपि विंबर का ललखखत ररकार्ण ककसी भी रूप, स्थानि या तरीके से विंहीं रखा विंहीं विंदहए विंो ककसी तीसरे पक्ष द्वारा इसके उपयोग की सववधानु प्रदानि कर सकता है।

वपि ककसी भी तीसरे पक्ष को, बैकैं के कमिण ाररयों को या व्यापाररक प्रनतष्टािों को, ककसी भी पररश्स्थनत में या ककसी भी तरह से, िाहे वह स्वैश्चिक हो या अन्यथा प्रकर िहीं ककया िािा िादहए।

7. कार्धण ारक का कार्ण खाता ककसी भी निकासी की रालश से तरांतु रेबबर कर ददया िाएगा, कार्ण के उपयोग से प्रभाववत स्थािाांतरर और अन्य लेििदेहि। कार्धण ारक बिए रखगे ा ऐसे ककसी भी लेििदेहि को परां करि के ललए अपि स्मार्ण पे कार्ण में पयाणप्त धिरालश।
8. कार्धण ारक स्मार्ण पे कार्ण पर उपलब्ध ककसी भी शेष रालश से अधधक स्मार्ण पे कार्ण का उपयोग करके धि निकालि का हकदार िहीं होगा।
9. कार्धण ारक कार्ण के उपयोग से प्रभाववत लेििदेहि के ललए शिम्मेदार होगा, िाहे कार्धण ारक द्वारा अधधकृत या िहीं, और ककसी भी ििकसाििु या क्षनत के खखलाफ एशससस बैकैं को क्षनतपनतणू करेगा कार्ण या सांबांधधत वपि के ककसी भी अधधकृत उपयोग के कारर, शिसमें उत्पन्नि होििे वाली कोई भी दांराात्मक कारणवाई शालमल है भारतीय ररिवण बैकैं के ददशानिदेशों अथवा ववदेशी मद्रां के आंतगतण बिए गए नियमों के ककसी उललांघि के कारर, प्रबांधि अधधनियम 1999 या उस समय भारत में लाग औ कोई अन्य कािििु, इसके बाविदू इस समझौते की समाशप्त।
10. आपसे अिरोधु है कक स्मार्ण पे कार्ण इंधगत ककए गए महीििे/वषण के अाांतम ददि तक वैध है। आप एतद्वारा स्मार्ण पे कार्ण की अवधध समाप्त होििे पर उसे कई रुकडों में कार्कर ििर करि का वििि देते हैं। आपका ििवीििीकृत स्मार्ण पे कार्ण कार्ण कार्ण की समाशप्त से पहले एशससस बैकैं के वववेक पर, आपके कार्ण खाते के सांिालि के मलयांकिि पर आपको भेििा िाएगा। एशससस बैकैं समाशप्त पर आपके कार्ण को ििवीििीकृत करि का एकमात्र अधधकार सरक्षक्षतु रखता है।

11. प्रीपेड कार्ड में अंतिम लेनदेन की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के दौरान कोई भी अप्रयुक्त या नहीं निकाली गई शेष राशि डिपॉज़िटर एजुकेशन एवं अवेयरनेस फंड (DEAF) में ट्रांसफर कर दी जाएगी। बैंकें प्रीपेर भगताहिंगु खाते में बकाया राशि की कक्षसी भी इन्विटी से पहले ग्राहक को मोबाइल फ़िोनबैर पर एसएमएस और/या ईमेल आईएमी पर ईमेल द्वारा फ़िोनो ग्राहक द्वारा सेवाओं के उपयोग के ललए प्रदान कक्षया फ़िोता है, 45 दिनों का अधग्रम साँझार भेजिंग।
12. कार्धण आरक को प्रीपेर भगताहिंगु खाते में बकाया शेष राशि को भाइंगु की अिमनतु दी फ़िोएगी, यदद कक्षसी कारर से योहिंगा को बांद कक्षया फ़िो रहा है या आरबीआई द्वारा बांद करि का निदेश ददया गया है।
13. कार्धण आरक किप्रो मद्राहु की खरीद के ललए कार्ण का उपयोग फ़िहीं करेगा
- ### व्यापारी प्रनतष्ठानि उपयोग
1. यह कार्ण भारत में व्यापाररक प्रनतष्ठानिंगों के सभी इलेसरॉनिक पॉइंग-ऑफ-सेल लमिण ल पर स्वीकार कक्षया फ़िोता है, फ़िहीं वीज़ा/मास्करार्ण/रुपे लोगो प्रदलशतण होता है।
 2. कार्ण के वल इलेसरॉनिक उपयोग के ललए है और के वल ति व्यापाररक प्रनतष्ठानिंगों में स्वीकार कक्षया फ़िोएगा फ़िो एक इलेसरॉनिक पॉइंग-ऑफ-सेल स्वाइप लमिण ल है। इलेसरॉनिक उपयोग को फ़िोडकर कार्ण का कोई भी प्रयोग अिधधकृत माहिंगा फ़िोएगा और ऐसे लेहिंदेनिंगों के ललए कार्धण आरक परीहु तरह से शहिम्मेदार होगा। कृपया फ़िोर करें कक मिंग्र प्रनतष्ठानिंगों में इलेसरॉनिक पॉइंग-ऑफ-सेल स्वाइप लमिण लों पर स्मार्ण पे कार्ण के उपयोग के ललए वपि की आवचयकता फ़िहीं है।
 3. फ़िब भी कार्ण का उपयोग व्यापाररक प्रनतष्ठानिंगों में कक्षया फ़िोता है तो आपको फ़िोहिण शस्लप पर हस्ताक्षर करिए फ़िोदहए और फ़िोहिण शस्लप की अपी प्रनत अपि पास रखिए फ़िोदहए। एशससस बैंके फ़िोहिण शस्लप की प्रनतयां प्रस्ततु फ़िहीं करेगा। कोई भी शलकु फ़िपी फ़िो आपके द्वारा व्यशस्तगत रूप से हस्ताक्षररत फ़िहीं है, लेककि शहिसे साबबत कक्षया फ़िो सकता है, फ़िैसा कक आपके द्वारा अधधकृत कक्षया फ़िो रहा है, को आपकी देयता माहिंगा फ़िोएगा।

स्मार्ट पे कार्ड भारत में ककसी भी वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे मिर प्रनतष्टां में स्वीकार ककया दिंता है। एशसस बैंक मिर द्वारा आपके साथ ककए गए ककसी भी लेन्दोर के ललए कोई शिम्मेदारी स्वीकार दिहीं करेगा, शिसमें प्राप्त की गई या पेश की गई वस्तओं और सेवाओं की आपनतनू शालमल है, लेकिं इन्हीं तक सीलमत दिहीं है। यदद आपको ककसी वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे कार्ड मिर प्रनतष्टां से सांबांधधत कोई लशकायत है, तो आपको मिर प्रनतष्टां के साथ मामले को हल करि दिंदहए और ऐसा करि में ववफलता आपको एशसस बैंक के ककसी भी दानयत्व से मस्तु दिहीं करेगी।

5. एशसस बैंक ककसी भी व्यापारक प्रनतष्टां द्वारा लेन्दोर के मलयू /लागत से अधधक और उससे अधधक लगाए गए ककसी भी शलकु के ललए कोई शिम्मेदारी स्वीकार दिहीं करता है और साथ ही आपके कार्ड खाते से रेबबर ककया दिंता है। लेन्दोर की रालश।
6. माल/सेवाओं को रद्द करि के ललए खरीद और उसके बाद का दिंे डर्डो अलग-अलग हैं लेन्दोर। धिवापसी के वल आपके कार्ड खाते में दिमा की दिंएगी (रद्दीकरर शलकु कम) और दिब यह व्यापारी से प्राप्त होता है। यदद धिवापसी के ददि से 30 ददिं के भीतर दिंे डर्डो आपके कार्ड खाते में पोस्त दिहीं ककया दिंता है, तो आपको व्यापारी से दिंे डर्डोर की एक प्रनत के साथ एशसस बैंक को सधितू करि होगा।
7. कार्ड का उपयोग ककसी मले ऑरण/फोरि खरीद के ललए दिहीं ककया दिंदिंा दिंदहए और इस तरह का कोई भी उपयोग ककया दिंएगा अिधधकृत मांदिंा दिंता है।
8. कार्ड का उपयोग ववदेशी पबत्रकाओं/पबत्रकाओं की सदस्यता के भगतांडु के ललए दिहीं ककया दिंदिंा दिंदहए और ऐसे ककसी भी उपयोग को अिधधकृत मांदिंा दिंएगा।

कार्ट बैलेंस और एसिपायरी

1. कार्ण कार्ण तैयार होलो की तारीख से 5 (पाँच) वर्षण की अवधि के ललए वैध है। स्मार्ट पे कार्ण महीलो के अांनतम ददि तक वैध है जैसा कक कार्ण पर समाश्पत नतध्य में दशाणया गया है।
3. कार्ण की समाश्पत की तारीख को या उसके बाद धारक द्वारा खरीदे गए बैंक के एक जिए समां भगतांगु साधि में ककसी भी बकाया रालश के हस्तांतरर की अिमनतु दी जाए सकती है।
4. आपके कार्ण में अधधकतम बकाया रालश ककसी भी समय रु. 1,00,000 से अधधक जिहीं हो सकती है।

एरीएम उपयोग

1. कार्ण भारत में सभी एशसस बैंक एरीएम और वीज़ा/मास्रकार्ण/रुपे एरीएम* पर स्वीकार ककया जाता है।
2. एशसस बैंक के एरीएम से सभी प्रकार की जिकद आहररों के ललए, आहरर के समय एरीएम द्वारा जारी ककए गए ककसी भी वववरर / रसीद को निराणयक माजां जाएगा, जिब तक कक बैंक द्वारा अन्यथा सत्यावपत और सधितू जिकया गया हो। इस तरह का कोई भी सत्यापि अांनतम और निराणयक होगा और यह सत्यावपत रालश कार्धण ऊरक के ललए बाध्यकारी होगी।
3. एशसस बैंक ककसी भी सवे जा को प्रदानि करि या ककसी भी दानयत्व को परानु करि में ववफलता के ललए उत्तरदायी जिहीं होगा।
इसके तहत जिहां ऐसी ववफलता एरीएम या कार्ण की ककसी भी खराबी, जिकी अस्थायी अपयाणपत्ता, ककसी भी वववाद या इसके नियांत्रर से परे अन्य पररश्स्थनतयों के कारर (जाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) हो।

4. एरॉम सेवाओं की उपलब्धता सांबांधित सेवा प्रदाता द्वारा प्रावधानि के अधीन है और एशससस बैंकें उत्तरदायी निहीं होगा यदद इसे सेवाओं को बिबि कक्षी सिंहाू के वापस ले ललया निंता है।

* आपके स्मार्ट पे कार्ण पर वीजा/मास्टरकार्ड/रुपे एरॉम तक पहुंच बैंके और कां पी के बीनि सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार प्रदानि की निंता है। **कार्ट निक्षणियता**

1. यदद एक वषण की लगातार अवधि के ललए कोई वक्तीय लेन्देनि निहीं कक्षा निंता है तो कार्धण ारक को सधितू करि के साथ बैंके द्वारा कार्ण को निश्चिय कर ददया निंएगा।

2. बैंके शाखाओं और/या निंलमत व्यवसाय प्रनतनिधियों द्वारा ग्राहक द्वारा सत्यापि के बाद ही कार्ण को पिःु सकिय कक्षा निं सकता है।

3. ऐसे कार्ण भारतीय ररज़वण बैंके को उके अन्देशोंु के अनुसार सधितू कक्षए निंएंगे

शल्कु

1. एशससस बैंकें कार्धण ारक को पवृत्ति सिंहाू के बिबि बाद की तारीख में शल्कु लगान्नि का अधधकार सरक्षक्षतु रखता है।

इस तरह की फीस, यदद कोई हो, और इसललए लगाई गई है, कार्धण ारक पर आपके कार्ण खाते से रेबबर की निंएगी एशससस बैंके की मौदिदाू दर पर अमोदि/निवीन्निकरर। ये शल्कु वापसी योग्य निहीं हैं। अन्य सेवाओं के ललए भी इसी तरह की दरें लागू होंगी।

2. आप विनि देते हैं कक आप कक्षी भी अवैध खरीद के ललए भगतान्नि करि के ललए कार्ण का उपयोग निहीं करेंगे अथाणत ति वस्तओंु सेवाओं की खरीद के ललए शान्निकी भारतीय ररज़वण बैंके द्वारा मौदिदाू ववनियमों के अनुसार अमनतु निहीं है।

3. निकद निकासी/शेष रालश की पितान्नि और/या निहां भी लागू हो, के ललए लेन्देनि शल्कु होगा निकद आहरर/शेष रालश की पितान्नि पोस्त करि के समय कार्ण खाते से रेबबर या निहां भी लागू हो।

4. स्मार्ट पे कार्ड के उपयोग पर लागू प्रभार/शलकु एश्ससस बैंके द्वारा समय-समय पर कार्डिंग
ारक को पवणू सिंहाू ददए बबि सांशोधधत/पररवनततण ककए हिंा सकते हैं।
5. एश्ससस बैंके समय-समय पर कार्ड पर लागू रेबबर लोडगा०/वावषकण/डिवीडीकरर शलकु और
अन्य सेवा शलकु का अधधकार सरक्षक्षतु रखता है।
6. एश्ससस बैंके कार्ड के बांद होइ०/रद्द करि/सववधा० वापस लेइ० के समय कार्ड पर लागू बकाया
रालश को पर्णू या आांलशक रूप से रेबबर करि का अधधकार सरक्षक्षतु रखता है।

शलकु वववरण	स्मार्टपे कार्ट
वैधता	5 वषण
डिकद निकासी	हाँ
हिंारी करि का शलकु	200 रु
वावषकण शलकु :	200 रु
लोर हो रहा है शलकु	20 रु
कार्ड बदला	100 रु
मोडिं शलकु	100 रु
एरीएम डिकद निकासी शलकु- शिम्मेदारी	शन्यू
एरीएम डिकद निकासी शलकु- ऑफस- प्रनत माह पांचि लेइदेइ मफ्तु	20 रु
गैर-ववतीय लेइदेइ - शिम्मेदारी - बैलेंस पिताइ०, लमी स्ट्रेंगर, वपि रीसेर	शन्यू
गैर-ववतीय लेइदेइ - ऑफस - बैलेंस पिताइ०, लमी स्ट्रेंगर, वपि रीसेर - प्रनत माह पांचि लेइदेइ मफ्तु	10 रु

स्मार्ट पे कार्ट की ववशेषताएं

बैंके समय-समय पर, अपि वववेक से, ववलभन्दि एिंलसयों के साथ गठिड कर सकता है आपके
स्मार्ट पे कार्ड की ववशेषताएं। ये सभी सववधाइ० के वल सवोत्तम प्रयासों के आधार पर होंगी,
और बैंके ककसी भी सेवा प्रदाता/व्यापारी/आउलर/एिंलसयों द्वारा प्रस्ताववत ककसी भी उत्पाद या

सेवा की प्रभावकारता, दक्षता, उपयोधगता की गारांरी या वारांरी निहीं देता है। वववाद (यदद कोई हो) बकैं को शालमल ककए बबिं सीधे व्यापारी/ऐंसी आदद के साथ उठाया निंदिं निंदहए।

जांकारी का प्रकर्तीकरण

1. एशससस बकैं द्वारा निरोधु ककए निंदिं पर, आप एशससस बकैं द्वारा आवचयक समझे निंदिं वाले ककसी भी मामले से सांबांधधत कोई भी निंदिंकारी, ररकॉर्ण या प्रमार् पत्र प्रदानि करेंगे। आप एशससस बकैं को ककसी भी माध्यम से या निंदो भी स्रोत से आवचयक समझे निंदिं वाले निंदिंकारी की सत्यता को सत्यावपत करि के ललए अधधकृत करेंगे। यदद रेंरा प्रदानि निहीं ककया गया है या गलत है, तो एशससस बकैं अपि वववेक पर कार्ण के निवीनिकरर से दिकार कर सकता है या कार्ण को तरांतु रद्द कर सकता है।
2. एशससस बकैं सक्षम के ककसी भी न्यायालय में ग्राहक निंदिंकारी का खलासानु करि का अधधकार सरक्षक्षतु रखता है। क्षेत्राधधकार, अधण-न्यानयक प्राधधकरर, कानिंदू प्रवतिण ऐंलसयां और कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार।
3. एशससस बकैं अन्य सांस्था को कार्धण नारक के खाते से सांबांधधत ऐसी निंदिंकारी का खलासानु करि का अधधकार सरक्षक्षतु रखता है, निंदो ककसी भी इलेसरॉनिक फां र रांसफर निंर्वकण में इसकी भागीदारी के सांबांध में आवचयक या उपयसतु हो सकती है।

खोया या चोरी हुआ कार्ट

1. स्मार्ण पे कार्ण के खोनिं या निंरोरी होनिं पर तरांतु एशससस बकैं को सधितू ककया निंदिं निंदहए। हालांकक आपातकालीनि सांपकण निंदांबर के माध्यम से निकसानिं या निंरोरी की सिनिंदू दी निंदा सकती है, आपको निलद से निलद एशससस बकैं को ललखखत रूप में इसकी पश्श्रु करि निंदहए। स्वीकृत पललसु लशकायत की एक प्रनत उसत ललखखत पश्श्रु के साथ होनिं निंदहए।

2. आप एतद्वारा एश्ससस बैंक को कक्षी भी देयता (लसववल या आपराधिक), हानि, लागत, व्यय या क्षनत के खखलाफ परीकू तरह से क्षनतपनतणू करते हैं जिनके कार्य के निकसानिं या दरुपयोगु के कारण उत्पन्न हो सकती है यदद यह खो गया है और एश्ससस बैंक को सधितू जिहीं ककया गया है या एश्ससस बैंक को सधितू करि से पहले खो गया है और दरुपयोगु ककया गया है।
3. बशते आपि सभी मामलों में नियमों और शर्तों का अिपालि ककया हो, एक प्रनतस्थापि कार्य लागू शलकु पर एश्ससस बैंक के वववेकाधिकार पर जिंदारी ककया जिंदा सकता है।
4. यदद आप बाद में कार्य को पिप्राणप्तु करते हैं, तो इसका उपयोग जिहीं ककया जिंदा सकता है। कृपया कार्य को निबंधियां जु पट्टी के माध्यम से कई रुकडों में कार्कर निष्क्र करें।

कथि और ररकॉर्ट

1. कार्धण ऊरक एश्ससस बैंक फोनि पर कॉल करके कक्षी भी समय अपि लेनिदेनि का वववरर प्राप्त कर सकता है। बैंककांग सेवा या एश्ससस बैंक के एरॉनेम में लम्ही सेमेंर सववधानु का उपयोग करिए। कार्धण ऊरक एश्ससस बैंक द्वारा प्रदानि की जिंदानि वाली इंरिए बैंककांग सववधानु आई-किसर™ का उपयोग करके भी अपि वववरर जिलाहि देख सकता है।
2. एश्ससस बैंक का कार्य के उपयोग से सांसाधधत लेनिदेनि का ररकॉर्ण निरूपणयक होगा और सभी उद्देचयों के ललए बाध्यकारी।

वववादों

खरीद लेनिदेनि के मामले 1.1n, कार्धण ऊरक के हस्ताक्षर के साथ एक जिंदानि श्लप और उस पर जिंदेर ककए गए कार्य जिंदानि बर के साथ एश्ससस बैंक और कार्धण ऊरक और एश्ससस बैंक द्वारा वहि की गई देयता की सीमा के रूप में कार्धण ऊरक जिहीं होगा। यह सनिश्चित करि के ललए आवचयक है कक कार्धण ऊरक जिंदेर सेवा की खरीद/लाभ उठाया गया सामानि प्राप्त कर ललया है। कार्धण ऊरक की सांतश्वरु के ललए लाभ उठाया।

2. एशससस बैंकें पीडडत कार्धण ारक के समाधानि के ललए वास्तवक और उधित प्रयास करेगा खाता वववरर में इंधगत लागू शलकु के साथ असहमनत या अन्यथा असहमनत की सिंिाू प्राप्त होिे के दो महीिे के भीतर ग्राहक द्वारा निधाणररत। यदद इस तरह के प्रयास के बाद एशससस बैंकें यह निधाणररत करता है कक शलकु सही है, तो वह कार्धण ारक को इसकी सिंिाू देगा।

3. एशससस बैंके कार्य का सम्मानि करि के ललए ककसी भी प्रनतष्टानि के इकार के ललए कोई शिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

4. इस समझौते को भारत के कानिंहोंगे के असारु और शालसत कक्षा प्राप्त होगा। सब वर्वाद मांबुर्ड, भारत के न्यायालयों के अन्य क्षेत्राधिकार के अधीन हैं, भले ही स्था कक्षी अन्य न्यायालय के पास इस मामले में समवती क्षेत्राधिकार हो सकता है।

5. कार्धण ऊरक बकाया रालश के सांग्रह से डिडीु सभी लागतों के ललए उत्तरदायी होगा, काडिंडीु व्यय (स्या मामले को ककसी एिंर को सांदलभतण करि आवचयक हो डिंडिं डिंदहए), या डिहां वववाद के समाधानि में काडिंडीु सांसाधिं का उपयोग ककया गया है।

प्रामाण्य

1. आप अपि रोडिगार और/या कायाणलय में ककसी भी बदलाव के बारे में एश्ससस बैके को तरांतु
ललखखत रूप
में सधितू करेंगे
और/या आवासीय पता और रोलीफोोि फिंांबर।

2. एशसस बैंक कक्षी भी नियम और शर्तों, फ़िनैन्चल यों को फ़िल्ड, हरॉल्ड या बदलि का अधधकार सरक्षक्षतु रखता है, कार्धण ारक को फ़िल्डर्स पर ववशेषताएं और लाभ। स्मार्ट पे कार्धण का उपयोग उस तारीख के बाद ककया फ़िल्टा है शॉपिंग पर इमें से कोई भी पररवतिण प्रभावी होता है, कार्धण ारक द्वारा ऐसे पररवतिण ठों के आरक्षर के बबि, स्वीकनत का प्रमार मालिं फ़िल्टा एगा

3. राक द्वारा यहां भेंटी गई कोई भी सिंहां वारक को प्राप्त हुई मानी जाएगी अधधसिंहां पोस्त करि से 7 दिनों के भीतर कार्धण वारक द्वारा ललखखत रूप में एशससस बकैं को ददए गए पते पर। ऐसे माध्यम से पररवतिण ओं का प्रकाशि जैसा कक एशससस बकैं उधित समझे, कार्धण वारक को प्रभावी जिंदर्दस का गठि करेगा।

4. यदद कोई कार्धण वारक, कार्ण का उपयोग करके, उपलब्ध कार्ण शेष रालश से अधधक रालश निकालता है कार्धण वारक एशससस बकैं को व्यांति के साथ परीं रालश का बबि शतण भगतां जु करेगा और

मिमाणि, यदद कोई हो, तो एशससस बकैं द्वारा तय की जानी वाली दर पर। हालांकक इसे एक समझौते के रूप में जिहीं मानी जानी जाना जादहए, या तो व्यसत या निदहत है कक एशससस बकैं ककसी भी ओवरड्राफ्ट सववधां को देनी के ललए बाध्य है।

एशससस बकैं कार्धण वारकों को जूर जैसे लाभ प्रदानि करि वाले तीसरे पक्ष द्वारा दी जानी वाली वस्तओं और सेवाओं की गर्वता जैसे बारे में कोई प्रनतनिधधत्व जिहीं करता है। यदद सेवा ककसी भी तरह से कम या अन्यथा असांतोषिक है तो एशससस बकैं शमिमेदार जिहीं होगा।

शशकायतें, अधधकृत लेन्देनि और ग्राहक शशकायतें

ककसी भी अधधकृत लेन्देनि के ललए बकैं या ग्राहक की देयता होगी:

1. ग्राहक की शन्य देयता- शन्य देयता के ललए ग्राहक की पात्रता उत्पन्न होगी जिहां अधधकृत लेन्देनि निम्नलिखखत तरीके से होता है:

(ए) बकैं की ओर से अांशदायी धोखाधडी/लापरवाही/कमी (भले ही ग्राहक द्वारा लेन्देनि की सिंहां दी गई हो या जिहीं)

(ख) ततीय पक्ष उललांघि जिहां कमी जि तो बकैं के साथ है और जि ही ग्राहक के साथ है, लेककि लससम में कहीं और निदहत है, और ग्राहक अधधकृत लेन्देनि के बारे में बकैं से सांझार प्राप्त करि के तीनि कायण ददवसों के भीतर बकैं को सधित करता है।

2. ग्राहक की सीलमत देयता- ग्राहक के कारर् होइे वाली हानि के ललए ग्राहक उत्तरदायी होगा निम्निलखत मामलों में अधिकृत लेइदेइ:

(ए) ऐसे मामलों में इहां निकसाइु ग्राहक द्वारा लापरवाही के कारर् होता है, जिसे कक इहां उसी साझा ककया है

भगताइु जिसे रेंलशयल, ग्राहक तब तक परायु निकसाइु वहि करेगा जिब तक कक वह अधिकृत की ररपोर्न इहां करता

बकैं को लेइदेइ। अधिकृत लेइदेइ की ररपोदरइंग के बाद होइे वाली ककसी भी हानि को बकैं द्वारा वहि ककया जाएगा।

(बी) ऐसे मामलों में इहां अधिकृत इलेसरॉनिक बकैंकांग लेइदेइ की शिम्मेदारी जितो बकैं के पास है और जिही ग्राहक के पास है, लेककि लसस्म में कहां और है और जिब ऐसे लेइदेइ के बारे में बकैं को सधित् करि में ग्राहक की ओर से देरी (बकैं से सांजार प्राप्त करि के बाद जार से सात कायण ददवसों का) होती है, ग्राहक की प्रनत लेइदेइ देयता लेइदेइ मलयू या 10,000/- रुपये, जितो भी कम हो, तक सीलमत होगी।

3. यदद ग्राहक अधिकृत लेइदेइ के बारे में बकैं से सांजार प्राप्त करि के सात कायण ददवसों के बाद बकैं को सधित् करता है, तो ग्राहक की देयता बकैं बोर्न द्वारा अिमोददतु जीनत के अिसारु निधाणररत की जाएगी। बकैं बोर्न द्वारा अिमोददतु जीनत के अिसारु बकैं का मलयांकि और निधाणरर करेगा

समथिण के ललए, www.axisbank.com/support पर जाएं

वद्ध वववरर के ललए, एशसस बकैं की वेबसाइर (www.axisbank.com) पर जाएं और बकैं के माध्यम से

जाएं

आप हमारे कस्मर के यर सववसण जांबर 022-67987777 से भी सांपकण कर सकते हैं।

4. बैंकें जिग्राहकोंको एरीएम निकासी के अलावा इलेसराँनिक लेंडिंग की सववधानु प्रदानि दिहाँ करेगा, जिन्हें बैंकें को वैध मोबाइल बिबां र प्रदानि दिहाँ करते हैं।
5. आपके निदेशों के सभी ररकार्ण और ऐसे अन्य वववरर् (भगतानु सदहत लेककि सीलमत दिहाँ हैं (क) के अिसररु में इलेसराँनिक या दस्तावेंदी रूप में बैंकें द्वारा अिरक्षक्षतु या प्राप्त ककए गए यहाँ नियम और शतें, आपके खखलाफ, इस तरह के निराणयक साक्ष्य के रूप में मानी दिएगी निदेश और इस तरह के अन्य वववरर्।
6. ररपोर्ण करि के समय और/या खाते पर ककए गए लेंडिंग/लेंडिंगों या उसत खाते के सांबांध में ककसी अन्य मामले से सांबांधधत ककसी भी वववाद के मामले में, बैंकें वववाददत लेंडिंग के समय और/या प्रामाखर्कता का पता लगानि का अधधकार सरक्षक्षतु रखेगा और तीसरे पक्ष की धोखाधडी के कारर् आपके कार्ण खाते में अिधधकृत लेंडिंग के मामले में आपकी देयता या दिहाँ आपि धोखाधडी के ललए योगदानि दिहाँ ककया है, वसीयत (ख) अिधधकृत इलेसराँनिक बैंकेंकांग लेंडिंगों में ग्राहकों की सीलमत देयता पर बैंकें अिमोददतु बोर्ण दिनत के अिसारु ग्राहक सरक्षानु के ललए ककए गए ददशा-निदेशों के अिसारु लाइसेंस प्राप्त करि के ललए समय-समय पर ववनियमों में ककए गए कोई भी पररवतिण लागू होंगे और उस समय बाध्यकारी होंगे।

दिमाक्तत

1. एशससस बैंकें स्मार्ण पे कार्ण या ककसी भी अन्य सेवाओं को बबि ककसी पवणू सिनाू के और बबि कोई कारर् बताए ककसी भी समय रद्द, वापस लेनि का अधधकार सरक्षक्षतु रखता है।
2. यदद कार्धण ारक अपि स्मार्ण पे कार्ण सववधानु समाप्त करि का निर्यण लेता है, तो दिएरी ककया गया कार्ण स्वतः रद्द हो दिएगा। कार्धण ारक को तरांतु अपि कार्ण का उपयोग करि बांद कर देनि दिएदहए और स्मार्ण पे कार्ण को दिश्र करि और वापस करि दिएदहए। ककसी भी बकाया कार्ण लेंडिंग के मामले में, शासि अभी तक कार्ण खाते में रेबबर् दिहाँ ककया गया है, एशससस बैंकें द्वारा उसे अपि धि वापस करि से पहले शेष रालश से शद्धु कर ददया दिएगा।

3. यदद कार्धण ०ारक स्मार्ण पे कार्ण के उपयोग को समाप्त करि का निर्यण लेता है, तो कार्धण ०ारक एशससस बकैं को ललखखत रूप में कम से कम ७ ददि पवणू सिंहा० देगा और मैग्निंदर्क श्सप के माध्यम से कई रुकड़ों में कारै गए कार्ण और ककसी भी अनतररसत कार्धण ०ारक कार्ण (यदद आवचयक नहीं है) को एशससस बकैं को वापस कर देगा। कार्धण ०ारक द्वारा इनियमों और शतों की प्रयोज्यता की समाश्पत के बाविदू कार्धण ०ारक द्वारा कार्ण को निष्क्रिय करि का दावा करि के बाद स्मार्ण पे कार्ण पर होनिं वाली सभी कार्ण सववधा० और सांबांधधत शलकों० के ललए शृंमेदार होगा। स्मार्ण पे कार्ण पर लगाए गए सभी प्रभारों के ललए कार्धण ०ारक शृंमेदार होगा, निंहोंने वह दरुपयोगु /कपर्पर्णु प्रयोग का पररराम हो या नहीं और बकैं को कार्ण निष्क्रिय करके निंहोंने के बारे में सधितू ककया गया हो या नहीं।

4. स्मार्ण पे कार्ण एशससस बकैं की सांपवत्त है और निरोधु पर तरांतु और बबि शतण एशससस बकैं के एक अधधकारी को वापस कर ददया निंहोंना निंदहए। कृपया सनिश्चितु करें कक अपि कार्ण सौंपि से पहले बकैं अधधकारी की पहिनि आपके द्वारा स्थावपत की गई है।

5. एशससस बकैं तत्काल प्रभाव से स्मार्ण पे कार्ण सववधा० को समाप्त करि का हकदार होगा और निमूलिलखखत में से ककसी भी घर्निं के होनिं पर कार्ण वापस कर ददया निंएगा:

- i) यहां निधाणररत नियमों और शतों का पालि करि में ववफलता।
- ii) एशससस बकैं के साथ ककए गए समझौते या प्रनतबद्धता (आकश्मक या अन्यथा) के तहत निकू की घर्निं।
- iii) कार्धण ०ारक ककसी भी ददवाललयापि, ददवाललयापि कायवण ०ाही या समां प्रकृनत की कायवण ०ाही का ववषय बि निंता है।
- iv) कार्धण ०ारक की मत्तु ।

6. स्मार्ण पे कार्ण को एश्ससस बैकै को उस तारीख से पहले वापस कर ददया ििादहए, शिस पर कोई भी बदलाव प्रभावी होिा है, कार्धण ारक द्वारा कार्ण पर लाग ू सववधाओंु , शु लक या नियमों और शतों में से ककसी भी प्रस्ताववत पररवतिण को अस्वीकार करि के मामले में।

7. कार्धण नारक को वपिले 6 के ललए कॉपेरेर से कार्ण में कोई निम्न डर नहीं लमला है।
(क) स्या यह सि है कक कार्ण पर उपलब्ध शेष रालश शन्य है और/अथवा वाषक प्रभारों से कम है।
कार्धण नारक से वसलू ककए निम्न पर, बकैं बबि ककसी पवण सिंह के और बबि कोई कारर बताए ककसी भी समय प्रदाति की निम्न वाली कार्ण या ककसी भी अन्य सेवा को रद्द/वापस लेने का अधधकार सरक्षक्षत रखता है।

शाकिकीय कार्बोहाइड्रेट्स और क्षेत्रीय धधकार

ये नियम और शर्तें और/या लेटि-देटि भारतीय कालिंगु द्वारा शालसत होंगे और मांबर्झ की सभी अदालतों के पास कार्ण के उपयोग से उत्पन्नि होँगे वाले कक्षसी भी दावे या मामलों के सांबांध में ववशेष क्षेत्राधधकार होगा।